न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 164/2006 **दायर तारीख :– 20.12.2006**

राजस्व वाद संख्या :– 160/2006 **दायर तारीख :– 03.12.2006**

बोदूराम पुत्र श्योलाल जाति अहीर निवासी ढाणी ढहराला तन तलियारा बागावास अहीरान तहसील विराटनगर, जिला जयपुर **— वादी**

बनाम

1. भगवाना पुत्र श्योलाल
2. भंवरा उर्फ भंवरलाल (फौत)
   - 2/1. सुन्दरी पत्नि भंवरा
   - 2/2. बनवारी
   - 2/3. जगदीश
   - 2/4. सुल्तान
   - 2/5. अुर्जन
   - 2/6. रामावतार
   - 2/7. श्रवण
   - 2/8. फूली

   } पुत्रान भंवरा
   - 2/9. रामेश्वरी उर्फ रमली
3. चौथू पुत्र श्योलाल

} पुत्रीयान भंवरा

} समस्त जाति अहीर निवासी ढाणी ढहराला तन तलियारा, बागावास अहीरान तहसील विराटनगर

4. उप पंजीयक/तहसीलदार विराटनगर
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जयपुर
6. सन्ती देवी पत्नि जगदीशप्रसाद जाति अहीर निवासी ढाणी ढहराला तन तलियारा बागावास अहीरान तहसील विराटनगर

— प्रतिवादीगण

दावा दुरूस्ती इन्द्राज, घोषणा खातेदारी व भूमि बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मातादीन शर्मा, अधिवक्ता वादी
श्री आनन्दसिंह शेखावत, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 2
श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 3
पैरोकार सरकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Original

निर्णय

निर्णय दिनांक 24.04.2018

1. उभय पक्षों के मध्य आराजी मुतनाजा को लेकर समान उनवानी वाद संख्या 160/2006 वाद बाबत बंटवारा आराजी एवं लगान व स्थायी निषेधाज्ञा व 164/2006 वाद बाबत दुरूस्ती इन्द्राज व घोषणा खातेदारी को हमकिता कर दोनो राजस्व वादों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।
2. वादी ने वाद संख्या 164/2006 पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बागावास अहीरान के साबिक खसरा नम्बर 1284 रकबा 5 बिसवा, 1285 रकबा 1 बीघा 1 बिसवा, 1286 रकबा 1 बिसवा, 1287 रकबा 6 बिसवा, 1289 रकबा 15 बिसवा, 1290 रकबा 6 बिसवा, 1291 रकबा 1 बीघा 5 बिसवा, 1300 रकबा 16 बिसवा, 1301 रकबा 4 बिसवा,1302 रेकबा 11 बिसवा, 1303 रकबा 11 बिसवा, 1304 रकबा 1 बिसवा, 1305 रकबा 2 बिसवा, 1306 रकबा 13 बिसवा, 1313 रकबा 2 बीघा 3 बिसवा, 1314 रकबा 16 बिसवा कुल किता 19 कुल रकबा 14 बीघा 12 किसवा की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वज श्योलाल के नाम रही है। उक्त साबिक खसरा नम्बरान के हाल सैटलमेंट कार्यवाही में खसरा नम्बर 1790, 1811, 1816, 1762, 1812, 1761, 1784, 1785, 1786, 1795, 1796, 1798, 1788, 1797, 1789, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1810 हाल राजस्व ग्राम तलियारा कायम किये गये है, जो अलमशहूर ढहराला के नाम से जानी जाती है। हाल भू–प्रबन्ध कार्यवाही में मृतक श्योलाल पुत्र बल्ला की मृत्यु पश्चात आराजी मुतनाजा में खसरा नम्बर 1802 लगा० 1807 को छोडकर शेष सम्पूर्ण भूमि जो वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है, की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 3 ने मनमाने तरीके से पृथक–पृथक तथा संयुक्त रूप से अंकित करायी है, जो प्रारम्भ से ही प्रभावहीन एवं शून्य है। वादी ने प्रतिवादीगण को आराजी मुतनाजा की खातेदारी बहिस्सा बराबर अंकित कराने हेतु बार निवेदन किया, मगर प्रतिवादीगण टालमटोल करते हरे तथा अब जमीनों के भाव बढने से उनके मन में बेईमानी आ गयी तथा खातेदारी बहिस्सा बराबर कराने से साफ इन्कार कर दिया। अतः निवेदन है कि वादी को ग्राम तलियारा के हाल खसरा नम्बर 1790, 1811, 1816, 1762, 1812, 1761, 1784, 1785, 1786, 1795, 1796, 1798, 1788, 1810, 1797, 1789 के हिस्सा 1/4 भाग का तथा शेष 3/4 भाग का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा

राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे। साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के हिस्सा 1/4 भाग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें, वादी को शान्तिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे।

3. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पैराकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब दावा पेश किया।

4. प्रतिवादी का जवाब रहा कि दौराने भू-प्रबन्ध पक्षकारान जिस तरह से काबिज थे, आपसी सहमति से सैटलमेंट विभाग से उसी प्रकार अपने-अपने नाम खाते खुलवा लिए, इस प्रकार जो व्यक्ति जिस खसरा नम्बर पर काबिज था वह उसी का खातेदार हो गया। खसरा नम्बर 1802 लगा० 1807 अथवा कोई भी नम्बर किसी भी पक्षकार की तन्हा खातेदारी नहीं है, बल्कि आराजी मुतनाजा का खातेदार श्योलाल था तथा वादी एवं प्रतिवादी श्योलाल के वारिस कायम मुकाम है। श्योलाल की मृत्यु बाद चारों भाई बहिस्सा बराबर अर्थात एक भाई 1/4 हिस्से पर काबिज हुआ तथा वक्त सैटलमेंट चारों भाई सहमत थे, कि जो भाई जहां काबिज है वह उसकी का खातेदार हो गया। चूंकि मिन प्रतिवादी को अनउपजाऊ बंजड एवं रास्ते से दूर कम कीमत वाली भूमि दी गई थी और इसी कारण 1/4 हिस्से से अधिक भूमि दी गई थी, जिसे मेहनत एवं रूपये खर्च कर उपजाऊ बनाया है। अब वादी के मन में बेईमानी आ गयी है, इस कारण झंठा दावा पेश किया है। अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जे-खर्चे खारिज फरमाया जावे।

5. वादी ने वाद संख्या 160/2006 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बागावास अहीरान के साबिक खसरा नम्बर 1319 रकबा 19 बीघा 6 बिसवा, 1320 रकबा 11 बीघा 6 बिसवा कुल किता 2 कुल रकबा 30 बीघा 12 बिसवा के हिस्से 1/2 की खातेदारी गीदा, छोटू, कालू पिता किशना के नाम तथा हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता श्योलाल के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। हिस्सा 1/2 के खातेदारान गीदा, छोटू, कालू ने अपने हिस्से की भूमि दीगर व्यक्ति जो मीणा जाति से से उन्हें विक्रय कर दी है, जिसकी पृथक से खातेदारी क्रेतागण के नाम हाल भू-प्रबन्ध में अंकित की जा चुकी है। आराजी मुतनाजा के हिस्से 1/2 को खातेदार श्योलाल के पुत्रगण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने आपसी मनबंट से राज०टी०एक्ट के प्रभाव में आने के पूर्व से ही बंटवारा कर पृथक-पृथक खेतों के रूप में अपने पिता के जीवनकाल में

Web Copy - Not Official

ही कर लिया था। वादी एवं प्रतिवादी के पिता के नाम की 1/2 हिस्से की भूमि के कुल 13 खेत राज.टी.एक्ट लागू होने के पूर्व तथा साबिक सैटलमेंट के बाद बना लिए थे, जिसमे 4 खेत मय डोले वादी के जिनका रकबा करीब 5 बीघा 15 बिसवा था, 2 खेत प्रतिवादी संख्या 1 के रकबा 2 बीघा 3बिसवा, 4 खेत मय डोले प्रतिवादी संख्या 2 के रकबा करीब 3 बीघा 13 बिसवा तथा 3 खेत प्रतिवादी संख्या 3 के रकबा करीब 3 बीघा 15 बिसवा इस प्रकार उनके हिस्से की कुल 15 बीघा 6 बिसवा बंटवारे के तहत काश्त करते चले आये है। साबिक खसरा नम्बर 1319 रकबा 19 बीघा 6 बिसवा, 1320 रकबा 11 बीघा 6 बिसवा कुल किता 2 कुल रकबा 30 बीघा 12 बिसवा के हिस्से 1/2 भाग की भूमि के हाल सैटलमेंट की कार्यवाही में खसरा नम्बर 1799, 1800, 1801, 1826, 1929, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843 कुल किता 18 ग्राम तलियारा बने है। आपसी बंटवारे के तहत वादी के हिस्से में हाल खसरा नम्बर 1843/0.73, 1840/0.15, 1832/0.13, 1829/0.37, 1831/0.05 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 1 के हक में खसरा नम्बर 1842/0.35, 1839/0.15, 1833/0.17, 1836/0.24 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 2 के हक में खसरा नम्बर 1838/0.31, 1837/0.23 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 3 के हक में खसरा नम्बर 1841/0.34, 1835/0.30, 1826/0.30 हैक्टेयर आये है, जिस पर बदस्तूर काबिज रहकर काश्त तथा उपयोग करते चले आ रहे है। वादी अपने हिस्से की भूमि को खसरा नम्बर 1830 में बनी चाह, जिसमें अर्सा लगभग 30 वर्ष से विद्युत कनेक्शन अपने पूर्वज पिता श्योलाल से सिंचित करके काश्त करता चला आ रहा है। सिंचाई हेतु एक होद वादी विद्युत कनेक्शन के वक्त ही बना रखा है तथा एक होद प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने मौके पर बना रखा है। वादी उक्त होद के अन्डर ग्राउण्ड सीमेंट पाईपों से हाल खसरा नम्बर 1843 व 1840 ग्राम तलियारा की शेष खसरा नम्बर 1829, 1831, 1832 मे जो कुए व होद है से नजदीक है, उनकी सीधे होद से सिंचाई करके काश्त करता आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादी ने अपने पिता के जीवनकाल के समय से ही भूमि को नरस–सरस के हिसाब से बंटवारा कर रखा है। वादी के हक व हिस्से में आयी भूमि हाल खसरा नम्बर 1843 के पश्चिम में सडक लाडाकाबास से जयसिंहपुरा को जाती है, जिसके फलस्वरूप उक्त भूमि आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है तथा उक्त भूमि की खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का भी वादी के साथ बहिस्सा बराबर दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर राजस्व रिकार्ड में

परिवर्तन कराने तथा वादी को जबरन बेदखल कर अन्य का कब्जा काश्त कराने पर आमादा है, जबकि उन्हें इस प्रकार की कार्यवाही करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अतः निवेदन है कि आराजी मुतनाजा का विधिक कानूनी बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के हक हिस्से कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। वादी को शान्तिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवें।

6. प्रतिवादी का जवाब रहा कि आराजी मुतनाजा के खातेदार श्योलाल रहे है तथा श्योलाल की मृत्यु बाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज हुए तथा आपसी सहमति से पक्षकारान काश्त करते रहे तथा प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 1837/0.23, 1838/0.31, 1829/0.37, 1832/0.13 पर काबिज काश्त है। उक्त खातेदारों के अन्य भूमि भी है, जिसके बाबत वाद में उल्लेख नहीं हुआ है। अतः दावा नियम 9 के तहत बाधित है एवं दावा चलने योग्य नहीं है, लिहाजा जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

7. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में तनकियात कामय की गई :–

   1. आया वाद संख्या 164/2006 के वादपत्र के जिम्मन नम्बर 13 के खण्ड (1) में वर्णित आराजी मुतनाजा पक्षकारान की पैतृक भूमि है, जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा बनता है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना सहमति/सक्षम न्यायालय स्वीकृति के गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी, जिसे वादी दुरूस्त कराने एवं खातेदारी घोषणा कराने व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? **—— जिम्मे वादी**

   2. आया वादी वाद संख्या 160/2006 के वादपत्र के जिम्मन नम्बर 14 के खण्ड (1, 2) में वर्णित आराजी मुतनाजा का बाहमी बंटवारे के अनुसार बंटवारा करवाने एवं कब्जे काश्त में दखल नहीं करने बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?
   ——जिम्मे वादी

   3. आया वादपत्र के जिम्मन नम्बर 13 के खण्ड (2) में वर्णित आराजी मुतनाजा में वादी के कब्जे काश्त में दखल नहीं करने बाबत प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ?
   —— जिम्मे वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. आया उक्त पक्षकारान के पास अन्य भूमि भी है, जिसके बाबत इस वाद में उल्लेख नहीं किये जाने से आदेश 1 नियम 9 सीपीसी के तहत दावा चलने योग्य नहीं है ? **—— जिम्मे प्रतिवादी**
5. आया भू–प्रबन्ध के दौरान कब्जे काश्त एवं उपजाऊपन के आधार पर वादी की सहमति से प्रतिवादीगण को अधिक भूमि दी गई थी ? दावा झूंठा होने से खारिज योग्य है। **—— जिम्मे प्रतिवादी**

8. वादीया ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2061–2064 Ex.-1, नकल जमाबन्दी (खतौनी) Ex.-2, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत् 2031 Ex.-3, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत् 2031 Ex.-4, नकल मिलान क्षेत्रफल Ex.-5, Ex.-6, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत् 2031 Ex.-7 आदि पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

मौखिक साक्ष्य के रूप में बोदू पुत्र श्योलाल PW.-1, सरदारा पुत्र लादू PW.-2, मामराज पुत्र नानगराम PW.-3 के मुख्य परीक्षण शपथ पत्र पेश कर परीक्षित करवाया गया।

9. पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 कैम्प कोर्ट बागावास अहीरान में वास्ते राजीनामा से प्रकरण का निस्तारण कराने पेश हुआ है। पूर्व में तहसीलदार विराटनगर की बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई है, कैम्प कोर्ट में उपस्थित उभय पक्ष की समझाईश की गई तथा मजमा–ए–आम बंटवारा प्रस्ताव पढकर उभय पक्ष को समझाया गया, जिस पर उभय पक्ष ने प्रकरण का निस्तारण मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट करने हेतु सहमति प्रदान की गई तथा सहमति स्वरूप न्यायालय आदेशिका पर अपने–अपने हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी की। उभय पक्ष के मध्य आपसी राजीनामा होने से प्रकरण में तनकीवार विवेचन अपेक्षित नहीं रहा है।

10. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। वाके ग्राम बागावास अहीरान के साबिक खसरा नम्बर 1284 रकबा 5 बिसवा, 1285 रकबा 1 बीघा 1 बिसवा, 1286 रकबा 1 बिसवा, 1287 रकबा 6 बिसवा, 1289 रकबा 15 बिसवा, 1290 रकबा 6 बिसवा, 1291 रकबा 1 बीघा 5 बिसवा, 1300 रकबा 16 बिसवा, 1301 रकबा 4 बिसवा,1302 रेकबा 11 बिसवा, 1303 रकबा 11 बिसवा, 1304 रकबा 1 बिसवा, 1305 रकबा 2 बिसवा, 1306 रकबा 13 बिसवा, 1313 रकबा 2 बीघा 3 बिसवा, 1314 रकबा 16 बिसवा कुल किता 19 कुल रकबा 14 बीघा 12 किसवा की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वज श्योलाल के नाम रही है। उक्त साबिक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खसरा नम्बरान के हाल सैटलमेंट कार्यवाही में खसरा नम्बर 1790, 1811, 1816, 1762, 1812, 1761, 1784, 1785, 1786, 1795, 1796, 1798, 1788, 1797, 1789, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1810 हाल राजस्व ग्राम तलियारा कायम किये गये है। आराजी मुतनाजा को लेकन उभय पक्ष के मध्य दो वाद वाद संख्या 160/2006 वाद बाबत बंटवारा आराजी एवं लगान व स्थायी निषेधाज्ञा व 164/2006 वाद बाबत दुरूस्ती इन्द्राज व घोषणा खातेदारी विचाराधीन रहे है। यह भी कि साबिक खसरा नम्बर 1319 रकबा 19 बीघा 6 बिसवा, 1320 रकबा 11 बीघा 6 बिसवा कुल किता 2 कुल रकबा 30 बीघा 12 बिसवा के हिस्से 1/2 की खातेदारी गीदा, छोटू, कालू पिता किशना के नाम तथा हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता श्योलाल के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। हिस्सा 1/2 के खातेदारान गीदा, छोटू, कालू ने अपने हिस्से की भूमि दीगर व्यक्ति को विक्रय कर दी है, जिसकी पृथक से खातेदारी क्रेतागण के नाम हाल भू–प्रबन्ध में अंकित की जा चुकी है। साबिक खसरा नम्बर 1319 रकबा 19 बीघा 6 बिसवा, 1320 रकबा 11 बीघा 6 बिसवा कुल किता 2 कुल रकबा 30 बीघा 12 बिसवा के हिस्से 1/2 भाग की भूमि के हाल सैटलमेंट की कार्यवाही में खसरा नम्बर 1799, 1800, 1801, 1826, 1929, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843 कुल किता 18 ग्राम तलियारा बने है। आपसी बंटवारे के तहत वादी अपने हिस्से की भूमि को खसरा नम्बर 1830 में बनी चाह, जिसमें अर्सा लगभग 30 वर्ष से विद्युत कनेक्शन अपने पूर्वज पिता श्योलाल से सिंचित करके काश्त करता चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादी ने अपने पिता के जीवनकाल के समय से ही भूमि को नरस–सरस के हिसाब से बंटवारा कर रखा है। विचाराधीन वादों के संबंध में उभय पक्ष ने राजस्व लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर कैम्प कोर्ट में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव राजीनामा पेश कर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा से प्रकरण का निस्तारण कराने पर सहमत होने से प्रकरण में तनकीवार विवचेन अपेक्षित नहीं रहा है। यह भी कि प्रस्तुत राजीनामा के संबंध में कैम्प कोर्ट में उपस्थित पक्षकारान ने न्यायालय आदेशिका पर अपने–अपने हस्ताक्षर अंगूठा निशानी की है। यह भी कि तहसीलदार विराटनगर से दिनांक 15.01.2018 को प्राप्त जवाब सरकार अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार बंटवारा/निर्णय किये जाने से किसी भी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया है। अतः तहसीलदार विराटनगर से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुरूप प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार निस्तारण किया जाता है।

आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर / रकबा
1	भंवरलाल पिता श्योलाल	1790 / 0.33, 1789 / 0.04 (दक्षिणी भाग), 1801 / 0.0122 (उत्तरी भाग), 1811 / 0.2092, 1816 / 0.2610, 1835 / 0.24 (पूर्वी भाग), 1833 / 0.1640, 1839 / 0.15, 1842 / 0.3188 हैक्टेयर
2	शान्ती देवी पत्नि जगदीश प्रसाद	1761 / 0.27 हैक्टेयर
3	चौथूराम पिता श्योलाल	1826 / 0.30, 1841 / 0.3391, 1786 / 0.3356, 1785 / 0.03, 1784 / 0.07, 1795 / 0.10, 1796 / 0.10, 1797 / 0.015 (दक्षिणी भाग), 1838 / 0.17 (पश्चिमी भाग) हैक्टेयर
4	भगवाना पिता श्योलाल	1762 / 0.356, 1812 / 0.6356, 1837 / 0.1968, 1838 / 2 / 0.122 (पूर्वी भाग), 1836 / 0.24, 1835 / 1 / 0.06 (पश्चिमी भाग) हैक्टेयर
5	बोदूराम पुत्र श्योलाल	1810 / 0.10, 1829 / 0.3496, 1832 / 0.1108 (उत्तरी भाग), 1840 / 0.1404, 1843 / 0.7012, 1788 / 0.17, 1798 / 0.14, 1789 / 1 / 0.04 उत्तरी भाग), 1797 / 0.015 (उत्तरी भाग), 1831 / 0.038 (पश्चिमी भाग), 1799 / 0.02 हैक्टेयर
6	भंवरलाल, चौथूराम, भगवाना, बोदूराम पुत्रान श्योलाल	1800 / 0.02, 1801 / 0.0378, 1802 / 0.01, 1803 / 0.07, 1804 / 0.06, 1805 / 0.04, 1806 / 0.10, 1807 / 0.02, 1834 / 0.02 हैक्टेयर
7	रास्ता प्रयोजनार्थ शामलाती खाता	1786 / 1 / 0.0144, 1843 / 1 / 0.0288, 1842 / 1 / 0.0312, 1838 / 1 / 0.0180, 1837 / 1 / 0.0332, 1833 / 1 / 0.0060, 1811 / 1 / 0.0108, 1812 / 1 / 0.0444, 1762 / 1 / 0.0240, 1816 / 1 / 0.0390,

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

		1841 / 1 / 0.0009, 1840 / 1 / 0.0096, 1831 / 1 / 0.0120, 1829 / 1 / 0.204, 1832 / 1 / 0.0192, 1806 / 1,0.02 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। (मृतक खातेदार के संबंध में तहसीलदार वारिसान की जांच कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें) उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे। निर्णय की प्रति दोनो वादों में शामिल की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 24.04.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)
अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर
बइजलास :— मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

बोदूराम पुत्र श्योलाल जाति अहीर निवासी ढाणी ढहराला तन तलियारा बागावास अहीरान तहसील विराटनगर, जिला जयपुर **—— वादी**

बनाम

1. भगवाना पुत्र श्योलाल
2. भंवरा उर्फ भंवरलाल (फौत)
   - 2/1. सुन्दरी पत्नि भंवरा
   - 2/2. बनवारी (पुत्रान भंवरा)
   - 2/3. जगदीश (पुत्रान भंवरा)
   - 2/4. सुल्तान (पुत्रान भंवरा)
   - 2/5. अुर्जन (पुत्रान भंवरा)
   - 2/6. रामावतार (पुत्रान भंवरा)
   - 2/7. श्रवण (पुत्रान भंवरा)
   - 2/8. फूली (पुत्रीयान भंवरा)
   - 2/9. रामेश्वरी उर्फ रमली (पुत्रीयान भंवरा)
3. चौथू पुत्र श्योलाल

(समस्त जाति अहीर निवासी ढाणी ढहराला तन तलियारा, बागावास अहीरान तहसील विराटनगर)

4. उप पंजीयक/तहसीलदार विराटनगर
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जयपुर
6. सन्ती देवी पत्नि जगदीशप्रसाद जाति अहीर निवासी ढाणी ढहराला तन तलियारा बागावास अहीरान तहसील विराटनगर

—— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 160/2006, 164/2006 **दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी तथा बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री मातादीन शर्मा एडवोकेट** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री आनन्दसिंह शेखावत एडवोकेट एवं श्री अवधेश कुमार शर्मा एडवोकेट** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया। **सुना गया।** आराजी मुतनाजा के संबंध में उभय पक्ष के मध्य दो वाद विचारधीन रहे, जिनके संबंध में तहसीलदार विराटनगर से राजस्व मण्डल के प्रावधानों अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुरूप बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उभय पक्ष ने राजस्व लोक अदालत की भावना से प्रेरित

Web Copy not Official

होकर राजीनामा पेश किया तथा प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति पेश की है। **अतः हुक्म दिया जाता है कि** वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	भंवरलाल पिता श्योलाल	1790/0.33, 1789/0.04 (दक्षिणी भाग), 1801/0.0122 (उत्तरी भाग), 1811/0.2092, 1816/0.2610, 1835/0.24 (पूर्वी भाग), 1833/0.1640, 1839/0.15, 1842/0.3188 हैक्टेयर
2	शान्ती देवी पत्नि जगदीश प्रसाद	1761/0.27 हैक्टेयर
3	चौथूराम पिता श्योलाल	1826/0.30, 1841/0.3391, 1786/0.3356, 1785/0.03, 1784/0.07, 1795/0.10, 1796/0.10, 1797/0.015 (दक्षिणी भाग), 1838/0.17 (पश्चिमी भाग) हैक्टेयर
4	भगवाना पिता श्योलाल	1762/0.356, 1812/0.6356, 1837/0.1968, 1838/2/0.122 (पूर्वी भाग), 1836/0.24, 1835/1/0.06 (पश्चिमी भाग) हैक्टेयर
5	बोदूराम पुत्र श्योलाल	1810/0.10, 1829/0.3496, 1832/0.1108 (उत्तरी भाग), 1840/0.1404, 1843/0.7012, 1788/0.17, 1798/0.14, 1789/1/0.04 उत्तरी भाग), 1797/0.015 (उत्तरी भाग), 1831/0.038 (पश्चिमी भाग), 1799/0.02 हैक्टेयर
6	भंवरलाल, चौथूराम, भगवाना, बोदूराम पुत्रान श्योलाल	1800/0.02, 1801/0.0378, 1802/0.01, 1803/0.07, 1804/0.06, 1805/0.04, 1806/0.10, 1807/0.02, 1834/0.02 हैक्टेयर
7	रास्ता प्रयोजनार्थ शामलाती खाता	1786/1/0.0144, 1843/1/0.0288, 1842/1/0.0312, 1838/1/0.0180, 1837/1/0.0332, 1833/1/0.0060, 1811/1/0.0108, 1812/1/0.0444, 1762/1/0.0240, 1816/1/0.0390, 1841/1/0.0009, 1840/1/0.0096, 1831/1/0.0120, 1829/1/0.204, 1832/1/0.0192, 1806/1,0.02 हैक्टेयर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। (मृतक खातेदार के संबंध में तहसीलदार वारिसान की जांच कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें) उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे। निर्णय की प्रति दोनो वादों में शामिल की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 24.04.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक ....शून्य........................... बाबत ....शून्य.................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 24.04.2018** को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर